

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेशः

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित, (कॉलेज व्याख्याता) परीक्षा 2014 में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क्र. स.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1.	आशीष शर्मा, भ.स. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाज, पाली	रसायन विज्ञान	26.05. 1987	क्रमांक: एफ1(23-21) RPSC/Appt/HRD / 2017 / 915 दिनांक: 18.12.2019

इनका इस विभाग में नियमानुसार लियन रहेगा।



(हिमांशु गुप्ता) 23/12
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 23/12/19

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अन्यत्र विभाग/2018-19
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपशासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. आयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) पाली-संभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) पाली।
6. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, भ.स. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाज, पाली।
7. संबंधित कार्मिक, आशीष शर्मा रसायन विज्ञान।
8. अनुभाग अधिकारी, एबी अनुभाग/ओएसी/वरिष्ठता अनुभाग।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर